जिला स्तरीय फुटबाल प्रतियोगिता अंडर 17 के विजेता-उपविजेता पुरस्कृत

बीकानेर, (कासं)। शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने बुधवार को शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में 66 वीं जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता अंडर 17 के विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया।

प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रताप बस्ती द्वारा 6 से 9 नवम्बर तक किया गया था। इसमें 16 टीमों के 242 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालासर प्रतियोगिता में विजेता रही। वहीं बीकानेर बॉयज स्कूल ने उप विजेता का खिताब जीता। इस दौरान डॉ. कल्ला ने कहा कि खिलाड़ी अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हुए पूर्ण समर्पण के साथ खेलें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में विजेता रहने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन को बड़ी इनामी राशि दी जा रही है। सरकारी नौकरियों में खेलों का कोटा निर्धारित किया गया है। उन्होंने शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल से जुड़ी यादें साझा की। इस दौरान अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील बोड़ा, स्पोर्ट्स स्कूल प्राचार्य अजयपाल सिंह शेखावत, प्रताप बस्ती स्कूल प्राचार्य अन्नू पंवार, शारीरिक शिक्षक केशव पुरोहित, जयप्रकाश रंगा, आशीष दुबे, महावीर पवार, रणविजय सिंह आदि मौजूद थे। मधुबाला शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया।

बीकानेर में शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने जिला स्तरीय फुटबाल प्रतियोगिता के विजेता- उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया।

- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालासर प्रतियोगिता में विजेता रही
- प्रतियोगिता में 16 टीमों के 242 खिलाड़ियों ने भाग लिया

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीरामसर में 66 वीं जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। 17 व19 वर्ष के आयु वर्ग के विजेता छात्र-छात्राओं को मैडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि एडीईओ बीकानेर अनिल बोडा थे। बोडा ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए खेलों के प्रति पूर्ण समर्पित होने की बात कही। उन्होंने बच्चों को कहा कि यदि उन्हें भविष्य में खेल के संबंध में किसी भी तरह की समस्या हो तो हमसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। राउमावि. श्रीरामसर ने लगातार तीसरी बार जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया। जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता की संयोजक एवं प्रधानाचार्य संगीता टाक ने बच्चों की हौसला अफजाई की। इस आयोजन में सहयोगी रहे सभी पीटीआई बंधुओं व शाला स्टाफ को धन्यवाद दिया।

शाला के पीटीआई रामेश्वर लाल ओझा एवं अन्य सभी पीटीआई बंधुओं को स्मृति चिन्ह भेंट किये। इस अवसर पर शाला स्टाफ सदस्य महीराम, जुगल किशोर, रिछपाल गोदारा, रोहिताश कांटिया, मोहनराम, मनोहर लाल, शिव कुमार मुलू, महेन्द्र सिंह राठौड़, एकता आचार्य, सूरजमल, सोहनलाल, शीला, बेला खत्री आदि ने आगंतुकों का स्वागत किया।

अमृता हाट की तिथि में संशोधन : संभाग स्तरीय अमृता हाट का अयोजन 14 से 20 नवम्बर तक जयनारायण व्यास कॉलोनी स्थित ग्रामीण हाट में प्रस्तावित था। इसकी तिथि में बदलाव किया गया है।

अब संभाग स्तरीय अमृता हाट के आयोजन की तिथि में संशोधन किया गया है। महिला अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक मेघा रतन ने बताया कि अमृता हाट का आयोजन अब आगामी 7 से 13 दिसम्बर तक किया जाना प्रस्तावित है।

पुण्यतिथि 184 यूनिट रक्तदान

अनूपगढ़,(कासं)। व्यापार मंडल में रक्त कोष फाउंडेशन के द्वारा समाजसेवी संदीप सिहाग की पहली पुण्यतिथि के मौके पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

इस विशाल रक्तदान शिविर का तहसीलदार राजेंद्र सिंह चौधरी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। रक्त कोष फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज सुथार ने बताया कि आज 184 रक्त वीरों के द्वारा रक्तदान किया गया है। कार्यक्रम के दौरान रक्त कोष फाउंडेशन के पदाधिकारियों के द्वारा रक्तदान के महत्व के बारे में भी विस्तारपूर्वक बताया गया।

व्यापार मंडल में आयोजित रक्तदान शिविर में श्रीगंगानगर के राजकीय अस्पताल की रक्त कोष टीम के द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज सुथार ने बताया कि एक स्वस्थ व्यक्ति अगर रक्तदान करता है तो रक्तदान से हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान भी बचा सकता है।

इसलिए हमें समय-समय पर चिकित्सक की सलाह पर रक्तदान जरूर करना चाहिए। तहसीलदार राजेन्द्र सिंह चौधरी के द्वारा रक्त कोष फाउंडेशन और समाजसेवी संदीप सिहाग के परिजनों के द्वारा लगाये गए रक्तदान शिविर की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह से समय-समय पर ऐसे रक्तदान शिविरों का आयोजन होना चाहिए। रक्तकोश फाउंडेशन की ओर से रक्तदान करने वाले रक्त वीरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर में तहसीलदार राजेंद्र सिंह चौधरी, रक्तकोश फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज सुथार,क्रय विक्रय सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष हेतराम ज्याणी, रक्त कोष फाउंडेशन के अध्यक्ष सुरेश ढाका, समाजसेवी मनीष सिहाग, एम्पिल श्योराण, बार संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email - uit_sgnr@yahoo.com
Office Add. - UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक - टीपी/2022/2459 **विज्ञप्ति** दिनांक - 20-10-2022
सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 13 किला नं. 05 में भूखण्ड माप 20'-0'' गुणा 40'-8'' फिट का नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा आवासीय पटटा सं. 16195 दिनांक 18.08.2022 द्वारा श्री हरबंश सिंह पुत्र श्री सुरजन सिंह के नाम से जारी है। प्रार्थी श्री हरबंश सिंह पुत्र श्री सुरजन सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के अधिसूचना क्रमांक प. 11 (8) नविवि/2020 जयपुर दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम 2021 अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही न्यास में विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णित भूमि का आवासीय रूपान्तरित भूमि से वाणिज्यिक प्रयोजन भू-उपयोग परिवर्तन बाबत किसी को कोई आपत्ति हो तो वह समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते है। 15 दिवस के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email - uit_sgnr@yahoo.com
Office Add. - UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक - टीपी/2022/2461 **विज्ञप्ति** दिनांक - 20-10-2022
सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 33 किला नं. 25 में भूखण्ड माप 41'-3'' गुणा 52'-6'' फीट आवासीय पटटा सं. 170 दिनांक 16.06.1985 का जरिए नामान्तरण पत्र संख्या 116 दिनांक 24.04.2018 श्री विजय कुमार एवं विष्णु भगवान पुत्र श्री बनवारी लाल के नाम है। नामान्तिरत भूखण्ड का उपविभाजन न्यास कार्यालय के आदेश क्रमांक 616 दिनांक 20.06.2018 द्वारा दो भागों में किया गया है। प्रार्थी श्री विजय कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल द्वारा उतरी हिस्सा माप 20'-7.5'' गुणा 52'-6'' का भू-उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजन परिवर्तन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के अधिसूचना क्रमांक प. 11 (8) नविवि / 2020 जयपुर दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम 2021 अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही न्यास में विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णित भूमि का आवासीय रूपान्तरित भूमि से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन बाबत किसी को कोई आपत्ति हो तो वह समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते है। 15 दिवस के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
क्रमांक :- LU2012/SGN/2022-23/100494 **लोक सूचना** दिनांक : 09.11.2022
श्री गुरशाब सिंह ढिल्लों पुत्र श्री हरदीप सिंह निवासी गांव तामकोट, चक 51 आरबी, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 1 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्री गुरशाब सिंह ढिल्लों पुत्र श्री हरदीप सिंह	चक 1 एफ छोटी मुरब्बा नं. 45 के किला नं. 24/4 में 0.0135 है. किला नं. 25/3 में 0.0144 है., यथाकुल 0.0279 है.	कुल 0.0279 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 09.11.2022 को जारी की गयी।
- प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
क्रमांक :- LU2012/SGN/2022-23/100492 **लोक सूचना** दिनांक : 09.11.2022
श्री इन्द्राज पुत्र श्री शिशुपाल सिंह निवासी गांव बीदासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 5 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्री इन्द्राज पुत्र श्री शिशुपाल सिंह	चक 5 एमएल मुरब्बा नं. 55 के किला नं. 16 की 0.190 है. में से 0.046 है. किला नं. 17 की 0.253 है. में से 0.0502 है., यथाकुल 0.0962 है.	कुल 0.0962 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 09.11.2022 को जारी की गयी।
- प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
क्रमांक :- LU2012/SGN/2022-23/100493 **लोक सूचना** दिनांक : 09.11.2022
श्री अंग्रेज सिंह मोहिन पुत्र श्री कुलदीप सिंह निवासी मकान नं. 665 होमलैण्ड सिटी, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 1 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्री अंग्रेज सिंह मोहिन पुत्र श्री कुलदीप सिंह	चक 1 एफ छोटी मुरब्बा नं. 45 के किला नं. 24/3 में 0.0135 है. किला नं. 25/2 में 0.0144 है., यथाकुल 0.0279 है.	कुल 0.0279 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 09.11.2022 को जारी की गयी।
- प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
क्रमांक :- LU2012/SGN/2022-23/100490 **लोक सूचना** दिनांक : 09.11.2022
श्री श्योप्रकाश पुत्र श्री भागीरथ निवासी गांव नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 5 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्री श्योप्रकाश पुत्र श्री भागीरथ	चक 5 एमएल मुरब्बा नं. 55 के किला नं. 6/6 की 0.920 है. में से 0.0502 है. किला नं. 7/3 की 0.1000 है. में से 0.056 है., यथाकुल 0.1080 है.	कुल 0.1080 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 09.11.2022 को जारी की गयी।
- प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
क्रमांक :- LU2012/SGN/2022-23/100491 **लोक सूचना** दिनांक : 09.11.2022
श्री श्योप्रकाश पुत्र श्री भागीरथ निवासी गांव नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 5 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्री श्योप्रकाश पुत्र श्री भागीरथ	चक 5 एमएल मुरब्बा नं. 55 के किला नं. 14 की 0.253 है. में से 0.0502 है. किला नं. 15 की 0.1900 है. में से 0.046 है., यथाकुल 0.0962 है.	कुल 0.0962 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 09.11.2022 को जारी की गयी।
- प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
क्रमांक :- LU2012/SGN/2022-23/100489 **लोक सूचना** दिनांक : 09.11.2022
श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी गांव नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 5 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र	चक 5 एमएल मुरब्बा नं. 55 के किला नं. 4/2 की 0.207 है. में से 0.0502 है. किला नं. 5/1 की 0.127 है. में से 0.046 है., यथाकुल 0.0962 है.	कुल 0.0962 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 09.11.2022 को जारी की गयी।
- प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
क्रमांक :- LU2012/SGN/2022-23/100485 **लोक सूचना** दिनांक : 09.11.2022
श्रीमती योजना देवी अग्रवाल पत्नी श्री देवेन्द्र अग्रवाल, श्री राजकुमार बंसल पुत्र श्री धनराज बंसल, श्री विपुल अग्रवाल पुत्र श्री रामअवतार अग्रवाल, श्री राजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मानक चन्द अग्रवाल, अधिकृत (पॉवर आफ अर्टोनी) राजकुमार व्यास पुत्र श्री राम गोपाल व्यास निवासी प्लाट नं. 09, सैकिण्ड फ्लोर, रिद्धी सिद्धी आंगन, श्रीगंगानगर एवं श्री राजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मानक चन्द अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 10, गाँधी नगर, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 17 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्रीमती योजना देवी अग्रवाल पत्नी श्री देवेन्द्र अग्रवाल, श्री राजकुमार बंसल पुत्र श्री धनराज बंसल, श्री विपुल अग्रवाल पुत्र श्री रामअवतार अग्रवाल, श्री राजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मानक चन्द अग्रवाल, अधिकृत (पॉवर आफ अर्टोनी) राजकुमार व्यास पुत्र श्री राम गोपाल व्यास एवं श्री राजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मानक चन्द अग्रवाल	चक 17 एमएल मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 5/3 की 0.1692 है. में से 0.0037 है. यथाकुल 0.0037 हैक्टेयर	कुल 0.0037 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 09.11.2022 को जारी की गयी।
- प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
क्रमांक :- LU2012/SGN/2022-23/100486 **लोक सूचना** दिनांक : 09.11.2022
श्रीमती योजना देवी अग्रवाल पत्नी श्री देवेन्द्र अग्रवाल, श्री राजकुमार बंसल पुत्र श्री धनराज बंसल, श्री विपुल अग्रवाल पुत्र श्री रामअवतार अग्रवाल, श्री राजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मानक चन्द अग्रवाल, अधिकृत (पॉवर आफ अर्टोनी) राजकुमार व्यास पुत्र श्री राम गोपाल व्यास निवासी प्लाट नं. 09, सैकिण्ड फ्लोर, रिद्धी सिद्धी आंगन, श्रीगंगानगर एवं श्री राजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मानक चन्द अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 10, गाँधी नगर, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 17 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्रीमती योजना देवी अग्रवाल पत्नी श्री देवेन्द्र अग्रवाल, श्री राजकुमार बंसल पुत्र श्री धनराज बंसल, श्री विपुल अग्रवाल पुत्र श्री रामअवतार अग्रवाल, श्री राजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मानक चन्द अग्रवाल, अधिकृत (पॉवर आफ अर्टोनी) राजकुमार व्यास पुत्र श्री राम गोपाल व्यास एवं श्री राजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मानक चन्द अग्रवाल	चक 17 एमएल मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 5/3 की 0.1692 है. में से 0.0037 है. यथाकुल 0.0037 हैक्टेयर	कुल 0.0037 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 09.11.2022 को जारी की गयी।
- प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
क्रमांक :- LU2012/SGN/2022-23/100487 **लोक सूचना** दिनांक : 09.11.2022
श्रीमती योजना देवी अग्रवाल पत्नी श्री देवेन्द्र अग्रवाल, श्री राजकुमार बंसल पुत्र श्री धनराज बंसल, श्री विपुल अग्रवाल पुत्र श्री रामअवतार अग्रवाल, श्री राजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मानक चन्द अग्रवाल, अधिकृत (पॉवर आफ अर्टोनी) राजकुमार व्यास पुत्र श्री राम गोपाल व्यास निवासी प्लाट नं. 09, सैकिण्ड फ्लोर, रिद्धी सिद्धी आंगन, श्रीगंगानगर एवं श्री राजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मानक चन्द अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 10, गाँधी नगर, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 17 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्रीमती योजना देवी अग्रवाल पत्नी श्री देवेन्द्र अग्रवाल, श्री राजकुमार बंसल पुत्र श्री धनराज बंसल, श्री विपुल अग्रवाल पुत्र श्री रामअवतार अग्रवाल, श्री राजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मानक चन्द अग्रवाल, अधिकृत (पॉवर आफ अर्टोनी) राजकुमार व्यास पुत्र श्री राम गोपाल व्यास एवं श्री राजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मानक चन्द अग्रवाल	चक 17 एमएल मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 4/3 की 0.1725 है. में से 0.0208 है. यथाकुल 0.0208 हैक्टेयर	कुल 0.0208 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 09.11.2022 को जारी की गयी।
- प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

खादी महज वस्त्र नहीं वरन एक विचार है : बी. डी. कल्ला

बीकानेर, (कासं)। शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने कहा कि खादी महज वस्त्र नहीं वरन एक विचार है। वस्त्र उद्योग के वर्तमान रूझानों के अनुरूप खादी में आवश्यक बदलाव कर युवा पीढ़ी को खादी पहनने के लिए प्रेरित करें।

डॉ. कल्ला ने बुधवार को बीकानेर विशुद्ध खादी ग्रामोद्योग समिति द्वारा पंचशती सर्किल पर नए खादी भंडार के उद्घाटन अवसर पर ये बात कही। डॉ. कल्ला ने कहा कि खादी की जड़ें हमारी आजादी के आंदोलन से जुड़ी है। देश को एकता के सूत्र में पिरोने में भी खादी की भूमिका रही है। आज भी हर हाथ को काम देने में खादी की बड़ी भूमिका निभा सकती है। उन्होंने नई पीढ़ी को खादी से जुड़ने का आव्हान किया।

इस अवसर पर खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष बृजकिशोर शर्मा ने कहा कि खादी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कई अभिवन पहल की है। ग्रामीण अंचल के युवाओं को आधुनिक तकनीक प्रशिक्षण के माध्यम से खादी के जरिए रोजगार देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। फैशन, रंग व डिजाइन में खादी के नए युवाओं द्वारा पंसद किए जा रहे हैं। पंचशती सर्किल पर नया खादी भंडार खोले जाने पर बीकानेर विशुद्ध खादी ग्रामोद्योग समिति को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इस स्थान पर खादी भंडार खुलने से नई पीढी भी खादी के वस्त्र लेने के लिए प्रेरित होगी। इस अवसर पर समिति के श्रीकृष्ण व्यास, सूरजमल व्यास, खादी ग्रामोद्योग के निदेशक प्रवीर कुमार, जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा, इंदुभूषण गोयल, हजारी देवड़ा, झंवर पन्नू, धनपत बिहाणी, डॉ संगीता सक्सेना, रामकुमार पुरोहित, रूपकिशोर व्यास, चतुर्भुज व्यास, गिरधारी कूकणा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन ज्योति प्रकाश रंगा ने किया।

बीकानेर में शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला व खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष बृजकिशोर शर्मा ने नए खादी भंडार का उद्घाटन किया।

कपास चोरी का मामला दर्ज

हनुमानगढ़, (कासं)। खेत मालिक ने कपास बेचने के मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। दोनों आरोपी लम्बे समय से कपास बेच रहे थे। खेत मालिक की रिपोर्ट पर जंक्शन पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एएसआई जयसिंह ने बताया कि गुरविन्द्र सिंह पुत्र छिन्द्रसिंह निवासी गांव अमरपुरा थेहड़ी ने लिखित रिपोर्ट दी है कि उसकी जमीन चक 1 जेडीडब्लयू चिश्तियां में है। उसने अपनी जमीन पांचवें हिस्से पर काश्त करने के लिए हरिदास पुत्र सुरजन सिंह बावरी निवासी भाम्भूवाली ढाणी को दी है। हरिदास उसके खेत में ही ढाणी में अपने परिवार के साथ रहता है। वर्तमान में खेत में कपास निकालने का काम चल रहा है।

हरिदास ने अपने साथी देवा निवासी चिश्तियां के साथ मिलकर उसके खेत से निकाली गई करीब 6-7 क्विंटल कपास चोरी कर बेच दी। सोमवार को चिश्तियां गांव निवासी भगवान सिंह ने उन्हें कपास चोरी कर ले जाते हुए और गांव में बेचते हुए देख लिया। भगवान सिंह ने उसे इसकी सूचना दी तो पता चला कि हरिदास और उसका साथी देवा पिछले करीब एक महीने से कपास चोरी कर बेचते आ रहे हैं।

एडवोकेट पर कृपाण से वार कर किया घायल

-बाइक से टक्कर के बाद मारपीट, 1 महिला सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

हनुमानगढ़, (कासं)। कृपाण से वार कर चोटें मारकर एडवोकेट को घायल करने पर एक महिला सहित 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया।

पत्नी और बच्चों सहित कार में सवार होकर जा रहे चण्डीगढ़ के एक एडवोकेट के साथ जंक्शन थाना क्षेत्र में एक अन्य कार सवार महिला सहित तीन अज्ञात जनों की ओर से हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कार सवार जनों ने कृपाण से वार कर चोटें मारकर एडवोकेट को घायल कर दिया। एडवोकेट की ओर से इस संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में पंजाब नम्बरी कार सवार तीन अज्ञात जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है।

हैड कांस्टेबल विजय सिंह ने बताया कि एडवोकेट दीपक पारीक (32) पुत्र जनकलाल पारीक निवासी सेक्टर नम्बर 13, चण्डीगढ़ ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि वह पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट चण्डीगढ़ में एडवोकेट हैं। वह 25 अक्टूबर को शाम करीब 5.30 बजे अपनी पत्नी सेनू पारीक, चार वर्षीय पुत्र ध्रुव व आठ वर्षीय पुत्री विशाखा के साथ सूरतगढ़ से चण्डीगढ़ के लिए कार रवाना हुआ था। जब हनुमानगढ़ जंक्शन में श्रीगंगानगर फाटक के पास निर्माणाधीन अंडरब्रिज के पास में गली से गुजरने लगे तो सामने से आई एक बाइक उसकी कार में आकर टकराई। उसने टक्कर लगने से नीचे गिरी बाइक को देखकर गाड़ी रोक ली और उन्हें संभालने लगा। बाइक सवार तीन व्यक्ति थे। तभी उसकी कार के पीछे से एक गाड़ी आई।

- प्रशासन गांवों के संग अभियान में मिली राहत

कार सवार दो महिलाओं और एक पुरुष ने गालियां निकाली। जब उसने इन लोगों को गालियां निकालने से रोका तो एक महिला उनकी कार के पास आई और अपनी कृपाण निकाल ली। महिला ने कृपाण से उसकी पत्नी पर हमला कर दिया। उस हमले को रोकने के लिए उसने महिला का हाथ पकड़ लिया।

अधूरी सड़क निर्माण से आमजन परेशान

बीकानेर, (कासं)। विश्वकर्मा गेट के बाहर हरिजन बस्ती मुख्य सड़क का निर्माण कार्य ठेकेदार ने बीच में ही छोड़ दिया। अधूरे सड़क निर्माण से आमजन परेशान हैं।

एक माह पूर्व पीडब्लूडी बीकानेर द्वारा ब्लॉक रोड बनाना प्रस्तावित था परन्तु ठेकेदार व विभाग की अनदेखी से सड़क निर्माण कार्य बीच में छोड़ दिया। जेसीबी मशीन द्वारा लापरवाही से नालियां तोड दी गई जिससे गंदा पानी घरों के आगे पसर कर सड़ांध मार रहा है। मच्छरों से डेंगू, मलेरिया तथा उड़कर धूल से घरों में जा रही है जिससे श्वास के रोगियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सड़क पर जगह- जगह मलबे को ढेर कर दिया है आमजन का रास्ते से निकलना दुश्वार हो गया है। अधिक्षण अभियन्ता पीडब्लूडी नरेश जोशी, कुसुम पुरोहित एईएन से कई बार अधूरा काम शीघ्र पूरा करवाने का निवासियों ने निवेदन किया परन्तु अधिकारियों पर कोई असर नहीं हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता भूरमल सोनी के साथ मौहल्ले वासियों ने शिक्षा मंत्री बी. डी. कल्ला से मुलाकात कर अधूरे पड़े सड़क निर्माण को शीघ्र पूरा करवाने की मांग की। ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग करने , कार्य अधूरा छोड़ने,समय पर पूरा नहीं करने की शिकायत की गई।

सन्तोषी चौक का होगा कायाकल्प

नोखा,(निसं)। नगर पालिकाध्यक्ष नारायण झंवर द्वारा पालिका क्षेत्र के वार्ड नं 29-30 में स्थित सन्तोषी चौक का सौन्दर्यकरण करने के लिए निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान मौके पर अध्यक्ष ने कनिष्ठ अभियंता से सन्तोषी चौक में पेवर ब्लॉक लगाने एवं मौके पर पैमाइश कर तकमीना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस कार्य की शीघ्र निविदा जारी कर समय पर पूरा करवाने के लिए मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान वार्ड पार्षद जगदीश मांझू, अंकित तोषनीवाल, माणकचन्द सोनी, गौरीशंकर करनाणी, भगवान सोनी, सुनिल करनाणी आदि मौजूद थे।

रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार घायल

बीकानेर, (कासं)। रोडवेज बस ने कहर बरपाते हुए बाइक सवार को गंभीर रूप से घायल कर दिया। गजनेर पुलिया पर तेज गति से आ रही रोडवेज ने बाइक पर जा रहे एक युवक को पीछे से टक्कर मारी। युवक उछलकर सड़क पर जा गिरा तो बस युवक के पैर के ऊपर से निकल गई।

गंभीर हालत में पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बुधवार दोपहर गजनेर रोड पुलिया पर एक मोटरसाइकिल सवार आचार्य चौक निवासी युवक ऋषभ दवे को रोडवेज बस ने टक्कर मारी।

- पीछे से आ रही बस ने ओवरटेक कर बाइक सवार को टक्कर मारी

ये युवक सड़क पर सामान्य स्पीड से जा रहा था कि पीछे से आ रही बस ने ओवरटेक करने के चक्कर में बस आगे निकालने का प्रयास किया। घायल को नाल निवासी जितेन्द्र पलसानिया ने पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर लेकर पहुंचा, जहां इलाज किया जा रहा है।

फिलहाल युवक की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। बीकानेर की सड़कों पर रोडवेज की बसें काफी लापरवाही से चलती है। खासकर गजनेर रोड पुलिया से महाराजा गंगासिंह यूनिवर्सिटी के बीच तेज स्पीड से चलने वाली ये बसें सड़क हादसों को न्यौता दे रही है।

नेशनल हाईवे होने के कारण यहां कहीं भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। इन सड़कों पर आये दिन हादसे हो रहे हैं। गंगानगर चौराहे से महाराजा गंगा सिंह युनिवर्सिटी के बीच भुट्टा चौराहा, पुलिस लाइन चौराहा, पंडित धर्मकांटा चौराहा, कोठारी अस्पताल के पास, डूडी पेट्रोल पंप के पास, चूंगी चौकी के पास, करमीसर चौराहे पर भारी भीड़ रहती है।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से कोई भी पात्र वंचित नहीं रहें : कलेक्टर

बीकानेर, (कासं)। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि राजनीतिक दल, बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति करते हुए इसकी अपडेट सूची उपलब्ध करवाएं, जिससे मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण संक्षिप्त कार्यक्रम में राजनीतिक दलों की भागीदारी रहे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनाव से पूर्व यह अंतिम संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान के अधिकार से वंचित ना रहें, इस उद्देश्य से कार्य करें। उन्होंने मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी और कहा कि राष्ट्र निर्माण में मतदाताओं की अहम भागीदारी है। उन्होंने मतदाता सूचियों को आधार से लिंक करने की प्रगति की जानकारी दी और बताया कि जिले के 77.23 प्रतिशत मतदाता कार्ड को आधार से लिंक कर दिये गए हैं।

उन्होंने बताया कि एकीकृत फोटो युक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के साथ 9 नवम्बर को यह कार्यक्रम शुरू हुआ। इसी श्रृंखला में 9 नवम्बर से 8 दिसम्बर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जायेगी। मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्ठियों का ग्राम सभाओं, स्थानीय निकायों और आवासीय वेलफयर सोसायटियों के साथ बैठक आयोजित कर पठन एवं सत्यापन का कार्य 12 और 26 नवम्बर को किया जायेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथियां 13 और 27 नवम्बर रहेंगी। दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 26 दिसम्बर तक किया जायेगा। हैल्थ पेरोमीटरों की जांच एवं अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति एवं डाटाबेस को अद्यतन करते हुए पूरक के मुद्रण का कार्य 3 जनवरी 2023 तक किया जायेगा तथा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को होगा।

अभियान के तहत 12 और 13 नवम्बर, 26 और 27 नवम्बर तथा 3 दिसम्बर को स्कूलों और कॉलेजों में शिविर आयोजित होंगे।

बीकानेर कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कलेक्ट्रेट में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक को संबाधित किया।

- एसएसआर के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR
First Floor, Sudharma-II, Lal Kothi Shopping Center, Tonk Road, Jaipur-302015
Case No.:OA/236/2022 Exh. No:6293
Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules,1993.
To, **AXIS BANK V/S MR SANDEEP KUMAR SWAMI**
(1) MR. SANDEEP KUMAR SWAMI S/O RAM SWAROOP SWAMI PLOT NO. 6-A , RADHA GOVIND NAGAR, AJAY VIHAR, PRATAP NAGAR, JAIPUR RAJASTHAN - 302033 Also At. IKAN GLOBE , PLOT NO. 91 A, DHULESHWAR GARDEN , C - SCHEME JAIPUR RAJASTHAN
Also At. GOPI NATH JI KA MANDIR, MED JAIPUR -3 JAIPUR RAJASTHAN BIKANER , RAJASTHAN
(2) M/S CORAL INFRA GOLD PVT. LTD. THROUGH AUTHORISED SIGNATORY DAGA CHOWK , BIKANER - 01 BIKANER RAJASTHAN

SUMMONS

WHEREAS, OA/236/2022 was listed before Hon'ble Presiding Officer on 06/09/2022. WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed againts you for recovery of debts of Rs.2404219/- (application along with copies of documents etc. annexed) In accordance with sub-section (4) of section19 of the Act, You the defendants are directed as under:- (i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted: (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application: (iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties: (iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the tribunal: (v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the application and to appear Registrar on 15/11/2022 at 10:30 A.M failing which the application shall be heard and decided in your absence. Give under my hand and seal of this Tribunal on this date: 07/09/2022

(Seal) Registrar DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR